

**\*जनपद – संतकबीरनगर\***

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*दिनांक 01.02.2024\***

आज दिनांक 01.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **\*डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार\*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **\*श्री आर0के0 भारद्वाज\*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

**\*दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **\*थाना महुली पुलिस द्वारा\*** वारण्टी नाम पता 1- शिवचन्द्र पुत्र रामसूरत 2- रामशांवर पुत्र रामबली निवासीगम शंकरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-** उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, का0 राहुल यादव।

**\*शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- **\*थाना बखिरा पुलिस द्वारा\*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **\*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा\*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 101 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 01.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 101 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 01.02.2024\***

**\*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 03 स्थानों पर लगवाये गये 11 सीसीटीवी कैमरे\***

\*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर\* द्वारा चलाये जा रहे **\*आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान\*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में आज दिनांक 01.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 03 स्थान पर 11 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। **\*थाना दुधारा\*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें, **\*थाना बखिरा\*** पुलिस द्वारा 01 स्थान 03 कैमरें, **\*थाना मेंहदावल\*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

\*“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 17 अभियोगों में 10 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 43,300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

\*श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश\* द्वारा चलाये जा रहे \*“ऑपरेशन कनविक्शन”\* व \*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर\* द्वारा चलाये जा रहे \*“ऑपरेशन शिकंजा”\* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 01.02.2024 को \*सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 575/12 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता जुम्न पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 626/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता जुम्न पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 427/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- निसार पुत्र अब्दुल अजीज 2- एजाज पुत्र अब्दुल अजीज 3- महमूद अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासीगण सुकरौली थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- मु0अ0सं0 695/2010 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इसरार पुत्र रईस निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मु0अ0सं0 1629/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता जुम्न पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।



14- मु0अ0सं0 92/2001 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

15- मु0अ0सं0 15/2001 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

16- मु0अ0सं0 523/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- थईम पुत्र चनई 2- आसिफ पुत्र शाह मोहम्मद निवासीगण बढयामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

17- मु0अ0सं0 837/10 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता चन्द्रभान चमरमगता पुत्र छोटेलाल निवासी परसाशेख थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।